# NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

**परियोजना का नामः–** राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि, 5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे0 कुल भूमि 6.450 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग के कि0मी0 25.00 (हे0मी0 4–6) से प्रारम्भ होकर 10.00 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम केदारकोट तक जाता हैं। जिससे कि ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें।

**समरेखण–1** यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग के कि0मी0 25.00 (हे0मी0 4–6) से प्रारम्भ होकर 10.00 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम केदारकोट तक निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावति है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू–गर्भ वेता द्वारा समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में कोई भी हेयरपिन बैण्ड नहीं पड़ता हैं तथा 234 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

**समरेखण–2** यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग के कि0मी0 25.00 (हे0मी0 4–6) से प्रारम्भ होकर 12.00 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम केदारकोट तक निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावति है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड कि सं0 4 है तथा अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

9/6/17
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)